

2283

2241



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Jharkhand
e-Stamp

Certificate No. : IN-JH29186030471477S
Certificate Issued Date : 25-Jun-2020 12:13 PM
Account Reference : CSCACC (GV)/jhcsceg07/ JH-PLSUN0218/ JH-PL
Unique Doc. Reference : SUBIN-JHJHCSCEG0743543381930131S
Purchased by : NEELAM SURIN
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : SALE DEED
Consideration Price (Rs.) : 15,68,000
(FifteenLakh Sixty Eight Thousand only)
First Party : SUSANA TOPNO
Second Party : NEELAM SURIN
Stamp Duty Paid By : NEELAM SURIN
Stamp Duty Amount(Rs.) : 62,800
(Sixty Two Thousand Eight Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

निबंधन अधिनियम 21 तथा छोटाना-पुर
कारतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के
अधीन एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की
अनुसूची 1 या 1 क सं. के अधीन
यथावत स्टाम्प सहित

37
30
[Signatures]

RS 0000216521

सुसाना टोपनी


Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

1568000

62800

Line Fee Paid
DIGRN No. 2001320326



प्रतिबंधित भूमि से प्लॉट A(1) मुक्त है।
संख्या 1063
L.L.R. 2
P.Fee 47044

पञ्जीयन कादल
42018-19
शा.पां.क 4236
018.6.2020

दस्तावेज जांच
3/8/20

1. लेख्य करी का नाम वी पूरा पता:-
श्री मती सुसाना टोल्ची पत्निका स्व. जेबीयर फिरोजजाति
उरावं निवास स्थान सौजा शाहपुर अकधर शाहपुर थाना
चंनपुर जिला पलामू पैसा नौकरी राष्ट्रीयता- भारतीय
आधार संख्या - 7028.8415, 3158
स्थायी लेखा संख्या - AEAPT 3145 H

सही सुसाना टोल्ची मां. 6400001-छ. नाल यलसि हजाम कुं. माब।
छ. लेबर मचली 8.1.11. नमो 7 गोंबा शाहपुर का लेजे

2. लेख्य धारी का नाम वी पूरा पता:-
श्री मती नीलम सुरीन पति का नाम श्री प्रदीप सिंह
कायम जाति मुन्डा निवास स्थान सौजा शाहपुर अकधर
शाहपुर थाना चंनपुर जिला पलामू पैसा नौकरी
राष्ट्रीयता - भारतीय
आधार संख्या - 7686.8924 3075
स्थायी लेखा संख्या - BCZPS 1186 F

पञ्जीयन कला
अर्थात धारता-
पता - 240 कायम शाहपुर
शा.पां. - 211822, मां. - 02.07.2020
दि. - 4 मा. 02.07.2020

शापथ लेना 1167 दिनांक 03.07.2020

लेख्य प्रकार - विक्रय पत्र (केवाला वस्ला कलामी)

4. देय मूल्य - सो. 6,40,000/- रु. लाख चालीस हजार रुपये

प्राप्त मूल्य - सो. 1,56,80,000/- = पन्द्रह लाख आसठ हजार

हजार रुपये मात्र। आवासीय $136,000 \times 8 = 1,56,80,000$ /-

5. विक्रय सम्पत्ति - सवाजी 8 आठ डिस्मील भूमि

सकान बनाने लायक वी सकान बनाने के लिए अंदर मौजा शारपुर थाना चंनपुर अमर को जिला अमर निबंधन कार्यालय से काम से दिनी नगर जिला बलामुं।

यह सम्पत्ति विक्रेता की हकीयत रूयती की उत्तराधिकारी तक हालीय है जिसका पार होखीगं पार क्लोट विक्री करते हैं। विक्रय भूमि का नक्सा इस दस्तावेज के साथ लगाया गया है जो इसका अभिन्न वी अकाय्य अंग है।

लेख्य भूमि गैर मजहदा वन्दोवस्ती या मुदान की नहीं है। वनसीमा से बाहर है। यह भूमि सन्दरे, मस्जिद गुहद्वार या गिरजा घर की नहीं है। किसी तरह के प्रति बन्धित नहीं है। इस भूमि के अन्तर्ण है सी.एन.टी. एफ. का उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेख्य भूमिका पूरा विवरण इस प्रकार है।

खसाणा लोया
02-07-2020

जवाह
श्री कचरा लकाडा
पुन रफिद लकाडा
जाम - शाहपुर, कान्हा - चिन्पुर
चलाख 02-07-2020

मोड़ा सामान - लीजीन: खपटन: हल्का नं होल्डिंग नं
 शाहपुर 112 51 1 3-0330000082
 000M0

नगर निगम वार्ड नं 33
 खाता नं. प्लॉट नं रकबा चौकदी
 230 - 1063 8 उत्तर - राम लोचन राम
 दो लो (तीस)) एक हजार , आठ दक्षिण - 13 तेरह कीट
 (तीस) (तीस)) 51. चौडा रस्ता
 पूर्व - शमीम एम अन्य
 = = = पश्चिम - विक्रता नीज
 1 1 8 आठ डिस्मील मुगि विक्री
 की जाती हैं।

सालाना माल - सी 8) आठ रुपये अलाय शोध
 नाम मालिक - कारवार सरकार द्वारा अंचल पदा
 धिकारी अंचल चैनपुर जिला प्लान।
 उल्लेखनीय है कि इस प्लान के कंडीका संख्या
 5 में परिचित सखती मेरी कास्ट उंगरी की एक अंश
 है कि जिलेकी मने उलयधिकार एक में प्राप्त किया
 है। उक्त मुगि को मेरे प्रति जेवियर किन्ही दिनांक
 29/9 को एक किता विक्रय पत्र के द्वारा लकालीन
 34

सुसाना टापो
 02.07.2020

जावाह
 के विभाजन सुरीन
 मिता - एक लुईस सुरीन
 राम - शाह कर शाजा. चैचउर
 पलार 02.07.2020

इल्हामुद्दीन वी इल्हामुद्दीन पिता का नाम स्व. अब्दुल
 मन्नाम वी सोगरा वीजी पति अब्दुल मन्नाम हैं
 प्राप्त किए थे जिसका कोयाला संख्या 9649 है।
 मूल कोयाला प्राप्ती के बाद दरखोल खरीज होकर
 मालगुजारी एलिट में पति के नाम से करले लगी
 थी. पति के मृत्यु के बाद उक्त मुग्गि का नामान्तरण
 में अधर्म नाम से कर ले ली है जिसके आधार पर
 मालगुजारी एलिट केज नं 129 मौसुम नं 16 पर
 करती है। उक्त मुग्गि पर मेरा साफ दरखोल कब्जा
 पला आ रहा है। इस पर किसी तरह का वाद विवाद
 अथवा शर्ह मार नहीं है। यह मुग्गि पाक वी साफ
 है। इस समय उपर्ये की खास आवश्यकता वारं
 अधर्म इलाज हेतु आ पड़ी है कि जिसका प्रबन्ध
 किया मुग्गि विक्री किए खास अधर्म पास से होना
 अधर्ममन्व है। लैलाजा उक्त उपर्ये के प्रबन्ध हेतु
 खाना लेख्या 5 की मुग्गि को विक्री करले का
 प्रस्ताव किया तो कई लोगों से जेता खाना संख्या 2

सुसाना दीवा

02.07.2020

श्रीकांताजी स्वसे ज्यादा किमत लगाए जिसको मैंने स्वीकार किया है। मैं मूल्य का पूरा रकम पहले ही कड़े किलो में तथा आर. टी. जी. एस. तथा नेफ्ट से प्राप्त कर ली हूँ। अब क्रेता के पास मूल्य की रकम में से से एक रुपया भी बाकी नहीं रह गया है। चूंकि हम आदिवासी समुदाय के लोगों को अपनी मुक्ति अन्तर्ण के लिए अनुमति प्राप्त करना होता है। मैं भी इस कार्य के लिए भी सान् उपायुक्त महोदय से आदेश प्राप्त कर लिया हूँ जिसका मुक्ति अन्तर्ण अनुमति प्राप्त कर ली हूँ जिसका वाद संख्या 420 सन 2018-20 है तथा लावांक 423 दिनांक 18/06/2020 है। चूंकि मूल्य का रकम पूरे तरह वधूल वा लिया हूँ। अब क्रेता के पास मूल्य की रकम में से एक रुपया भी बाकी नहीं रह गया है।

अब क्रेता को पूरा अधिकांश खन किया कि इस कार्य की गड्डे सम्पत्ति पर कायम को कावरी वरिष्ठ रहक मन पसन्द उपयोग करें तथा इस मूल्य केवाला को अचल

सुसाना टोपा
02-07-2020

कार्यालय में कोर्ट करके इफ्तो नाम मांगें वंजी में
 में दर्ज करके प्रति वर्ष लगान अदा किया करें।
 अमीरकजी भी एक स्वामित्व वी.दखल कब्जा
 इस सम्यति पर मेरा था अथवा मखिय में मेरे
 वारिसान को प्राप्त होता वह सब एक अधिकार तथा
 दखल कब्जा आज के तारीख ही केला को सौंप कर
 वाज आयी तथा तम अंश में के पूरा स्वयत्ता
 में एक एक किया विक्रय का लिख दी कि
 समय पर काम आवें वो प्रमाण है दिनांक -
 02/07/2020 इसी



नीलम खुरीन



ला0 न0 136/2003

मेदिनीनगर थपलाका Gchaudhary

कार्तिक शान चन्द चौधरी वाउद ला.नं 136/2003
 सैकाम मेदिनी नगर पखामु कयाला लिखा तथा
 मजमुन पढकल दोनो पक्षों को बुला दिया
 प्रमाणित किया जा रहा है कि जिन व्यक्तियों का दाया किया
 इस दस्तावेज पर चिपकाया गया है उनके दाये हाथ के
 (एकी अंगुलियों के निशान में से लिये
 लिया गया है।

सुसाना टोबा

02.07.2020